राजस्थान सरकार
राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई – डीपीआईपी

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 2226175

प. 6 (18)/ग्रा.वि./डीपीआईपी/2003 दिनांकः 15.02.2007

कार्यशाला कार्यवाही विवरण

डीपीआईपी में कार्यरत गैर सरकारी संगठनो की समस्या निवारण एवं प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु इन्दिरागांधी पंचायतीराज एवं विकास संस्थान जयपुर में दिनांक 9.2.2007 को प्रातः 10.00 बजे राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में गैर सरकारी संगठनों के जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ठ पर उपलब्ध हैं। कार्यशाला में विचार विमर्श उपरान्त पारित निर्णयों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

(1) **प्राथमिक जीविकोपार्जन विकास सहकारी समिति :–**

संस्था **(पीएलडीसीएस)** के गठन का प्रारूप कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया इसमें विचार विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय लिये गयेः–

(1) **सदस्यताः–** प्रारूप में सीआईजी के सदस्यों के जीवनसाथी यथा पति/पत्नी को सहायक सदस्य बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था। इस प्रस्ताव पर सदस्यों ने सुझाव दिया कि यदि महिला सदस्यों की संख्या (50 प्रतिशत या अधिक) पर्याप्त नहीं हो तो पुरूष सदस्यों की पत्नियों को सहायक सदस्य बनाने की आवश्यकता हैं। इस पर सहकारी विभाग के उपस्थित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सहायक सदस्य के रूप में (Associate Member) सदस्यता केवल किसी संस्था को ही दी जा सकती हैं व्यक्तिगत रूप में नही। इस पर सहायक सदस्य नही बनाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया साथ ही संस्थागत सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत से सरपंच तथा संबंधित एनजीओ से एक प्रतिनिधि को एसोसिएट सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। समान रूचि समूह को Nominal Member के रूप में सदस्यता दी जावें। समान रूचि समूहों के सदस्यों कों समिति की पूर्ण सदस्यता दी जावें। जिसके अन्तर्गत समिति के सदस्य के पास मताधिकार एंव शेयर पूंजी खरीद सके।

(2) पीएलडीसीएस के गठन हेतु **व्यय अनुमान** को निम्नानुसार सहमति दी गयी :–

प्री–रजिस्ट्रेशन व्यय के लिए विचार विमर्श उपरान्त गैर सरकारी संगठन को मांग एवं औचित्यता के आधार पर पीएलडीसीएस गठन के लिए गैर सरकारी संगठनों को सुविधा राशि रू. 40000 दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस राशि में तीन माह के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति राशि रू. 24000 एवं 16000 आने जाने, डॉक्यूमेन्टेशन एवं अन्य व्यय सहित सम्मिलित हैं। इस प्रकार समिति समन्वयक की ट्रैनिगं एंव एक्सप्रोजर, Community Resource Person द्वारा समान रूचि समूहों के सदस्यों को Mobilize करने के लिए एंव गैर सरकारी संगटनों की सुविधा राशि को सम्मिलित करते हुए कुल रूपऐ 51,600 का व्यय प्रस्तावित है। सरकारी संगठन सदस्यों की गतिशीलता (Mobilization) रिकॉर्ड संधारण तथा पीएलडीसीएस का गठन इत्यादि कार्य संपादित करेगा।

(II) **पोस्ट रजिस्ट्रेशन** व्यय अनुमान के अन्तर्गत पीएलडीसीएस को डीपीआईपी की ओर से विभिन्न मदों में राशि रू. 1,17,000 दिया जाना प्रस्तावित किया गया इस राशि में संस्था को गठन पश्चात दो किश्तों में कुल राशि रू. 50,000 Start up fund दिया जाना भी सम्मिलित हैं। इस प्रस्ताव को सभी उपस्थित सदस्यों ने उपयुक्त मानते हुए चर्चा उपरान्त सहमति दी।

पीएलडीसीएस के लिए प्रारूप में प्रस्तावित अन्य मदों एवं विवरण को यथा स्थिति में रखते हुए सदन द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई। पीएलडीसीएस का प्रारूप (परिशिष्ठ – 'अ') संलग्न हैं।

(3) एनजीओ द्वारा वर्तमान में **Convergence** पर सीमित दायरे में कार्य किया जा रहा हैं। **Convergence** सरकार के विभिन्न विभागो द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समूह के सदस्यों को पहुचाने के लिए यह कार्य पीएलडीसीएस के माध्यम से कराने हेतु प्रकिया पर विचार किया गया। इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों का विचार था कि समिति के गठन पश्चात इसको स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से यह कार्य पीएलडीसीएस को दिया जावें तथा **Convergence** के लिए प्रोत्साहन राशि दो रूपये प्रति माह प्रति लाभार्थी प्रति योजना पीएलडीसीएस को दी जावें।

(4) गैर सरकारी संस्थाओं के टास्क बिलो से स्टाफ पदस्थापित न करने या कम भुगतान करने के कारण दिनांक 31.12.05 तक जो कटौती की गई हैं उस कटौती की गई राशि को निम्नानुसार गैर सरकारी संस्थाओ को वापिस दिया जाना प्रस्तावित किया गया ।

(अ) कटौति की गई 50 प्रतिशत राशि को तत्काल भुगतान किया जावें।

(ब) शेष 50 प्रतिशत राशि को गैर सरकारी संस्थाओ द्वारा पदस्थापित सामुदायिक सहजकर्ता, विषय विशेषज्ञ एवं जिला परियोजना समन्वयक के मासिक मानदेय अनुसार प्रति माह वापिस किया जाना प्रस्तावित हैं। मासिक मानदेय टाईम एक्टेन्शन के अनुसार निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

सामुदायिक सहजकर्ता, रूपये 2000 मासिक।

विषय विशेषज्ञ रूपये 4000 मासिक।

जिला परियोजना समन्वयक रूपये 5000 मासिक।

(5) गैर सरकारी संस्थाओ के अनुबन्ध के एनेक्सर सी में चतुर्थ चरण–उप परियोजना की आत्मनिर्भरता के संबध में गैर सरकारी संस्थाओ की ओर से यह बिन्दु सर्वसम्मिति से उभर कर सामने आया कि केवल दो जिलो बारां एवं चूरू में चतुर्थ चरण के भुगतान करने में समस्या आ रही हैं तथा अन्य जिलो में चतुर्थ चरण का भुगतान यथावत जारी हैं। अतः दो जिलो बांरा एंव चुरू में यह समस्या के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर प्रयास किये जावें।

(6) कार्यशाला में उपस्थित गैर सरकारी संस्थाओं के एनजीओ एवं जिला परियोजना प्रबन्धको द्वारा यह सुझाव दिया गया कि पूर्णता प्रमाण पत्र के त्वरित समायोजन हेतु जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन की शर्त में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र का समायोजन कर दिया जावें।

उप निदेशक
राज्य परियोजना प्रबन्धक इकाई
(डीपीआईपी)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना प्रबन्धक, जयपुर।
2. जिला परियोजना प्रबन्धक, बांरा/चुरू/ दौसा /धौलपुर /झालावाड़ /राजसमन्द/टोंक।
3. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त संस्थायें............ बांरा/चुरू/ दौसा/धौलपुर/झालावाड़/राजसमन्द/टोंक।
4. प्रबन्धक (सीएमआईएस) एसपीएमयू, जयपुर।
5. समस्त अधिकारी एसपीएमयू, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक